

परियोजना का नाम:— रूद्रप्रयाग नगर हेतु जल शोधन संयंत्र का निर्माण

प्रतिवेदन

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

जनपद — रूद्रप्रयाग ।

रूद्रप्रयाग नगर चारधाम यात्रा के मुख्य मार्ग पर स्थित है। सेन्सेस 2011 के अनुसार नगर की आबादी 9313 है एवं नगर पालिका द्वारा अवगत कराये जाने के अनुसार नगर की फ्लोटिंग जनसंख्या लगभग प्रतिदिन 12000 है। डिजायन अवधि 30 वर्ष मानते हुए तहसील ग्रोथ रेट एवं पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग हेतु निर्धारित विभिन्न मेथडों के अनुसार जनसंख्या आंकलित करने पर बेस इअर 2025, मिड इअर 2040 एवं डिजायन इअर 2055 हेतु नगर की जनसंख्या क्रमशः 25920, 31049 एवं 36179 आंकलित की गई है। रूद्रप्रयाग नगर में पूर्व निर्मित पेयजल योजना से आपूर्ति सुजुगी बगड़ गदेरे से होती है। यह योजना लगभग 35 वर्ष पूर्व निर्मित है। पूर्व निर्मित योजना के अनतर्गत 0.5 एम0एल0डी0 क्षमता की ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट 0.01 है0 वन भूमि पर निर्मित है। परन्तु निर्मित ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट की क्षमता वर्तमान जल मांग के अनुसार कम होने व अत्यधिक पुराना व जीर्ण-शीर्ण होने के कारण उपयोग में नहीं है। जिस कारण बरसाती दिनों एवं अन्य माहों में हल्की बरसात से ही नगर में मिट्टी युक्त गन्दे पानी की सप्लाई होती है। उक्त स्थान पर ही पूर्व निर्मित फिल्टर प्लाण्ट की क्षमता बढ़ाते हुए नई तकनीकी पर आधारित वाटर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट निर्मित किया जाना है। जिस हेतु 25m X 25m + 16.00 X 16.00 कुल 0.09 है0 वन भूमि की आवश्यकता है। ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट निर्मित होने से उक्त श्रोत से आच्छादित होने वाली नगर की 65 प्रतिशत आबादी को शुद्ध जल की आपूर्ति होगी।

उपरोक्त फिल्टर प्लाण्ट तकनीकी कारणों से अन्य स्थल पर बनाया जाना सम्भव नहीं है। जिस कारण उक्त निर्माण हेतु प्रस्तावित कार्यस्थल के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है एवं निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि न्यूनतम है। उक्त कार्य हेतु आवश्यक वन भूमि हस्तान्तरण प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित किए जा रहें हैं।


उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग


अधिसूची अभियन्ता
निर्माण शुल्क
अधिसूची अभियन्ता
नगरपालिका पेयजल निगम
रूद्रप्रयाग

प्रारूप-1

परियोजना का नाम:- रुद्रप्रयाग नगर हेतु जल शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य।

प्रतिवेदन

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

जनपद - रुद्रप्रयाग।

रुद्रप्रयाग नगर हेतु जलापूर्ति सुजुगी बगड़ गदेरे से होती है। अतः उक्त श्रोत पर पहले से निर्मित जल शोधन संयंत्र जिसकी क्षमता वर्तमान जल मांग के अनुसार कम होने व अत्यधिक पुराना व जीर्ण-क्षीर्ण होने के कारण उपयोग में नहीं है।

अतः रुद्रप्रयाग नगर हेतु नए जल शोधन संयंत्र का निर्माण आवश्यक है। जिस हेतु निम्न आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता है।

1. पूर्व निर्मित जल शोधन संयंत्र जो 13 मी० x 8 मी० कुल 0.01 है० वन भूमि पर निर्मित है।
2. नया 3.00 एम०एल०डी० क्षमता का जल शोधन संयंत्र जिसका निर्माण पूर्व निर्मित जल शोधन संयंत्र के निकट 0.09 है० वन भूमि पर प्रस्तावित है।

उपरोक्त नए फिल्टर प्लांट (WTP) का निर्माण करने हेतु ही 0.09 है० वन भूमि की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई स्थल उपलब्ध नहीं है।

~~उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग~~

ह०/-
प्रमुख जल अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- रुद्रप्रयाग नगर हेतु जल शोधन संयंत्र का निर्माण

वैकल्पिक संरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु विभिन्न उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया गया व वर्तमान विकल्प को सर्वदा उपयुक्त पाया गया।

~~उपरोक्त संरेखण
नगरपालिका क्षेत्र प्रभाग
रुद्रप्रयाग~~


जनक अधिकारी
रुद्रप्रयाग रोज

ह0/ 
प्रयोक्ता एजेन्सी
अग्रिमशाली अभियन्ता
निर्माण शाखा
पेयजल संसाधन विकास
नगर निर्माण निगम रुद्रप्रयाग

नोट :-यह सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

परियोजना का नाम :- रुद्रप्रयाग नगर हेतु जल शोधन संयंत्र का निर्माण

विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण व उनके निरस्त किये जाने का कारण का प्रमाण - पत्र

संरेखण नं०	प्रभावित वन भूमि (हे० में)	प्रभावित वृक्षों की संख्या	मार्ग की लम्बाई	अन्य कारण (एन०पी० बैण्ड व अन्य भू-गर्भीय कारण)
संरेखण -1	0.09	0	25.00 x 25.00 16.00 x 25.00	
संरेखण -2	0.075	0	30.00 x 25.00	तकनीकी रूप से सम्भव नहीं
संरेखण -3	—	0	—	

उक्त तीनों संरेखणों में से संरेखण 01 उपयुक्त है।

~~उत्तराखण्ड
जल संसाधन विभाग
रुद्रप्रयाग नगर विकास प्राधिकरण
रुद्रप्रयाग~~

अधिसूचि अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
ह०/- रुद्रप्रयाग
प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नाम:- रूद्रप्रयाग नगर हेतु जल शोधन संयंत्र का निर्माण.

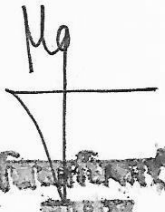
वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित १:१.१ हे० वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

ह०/- 
प्रयोक्ता एजेन्सी
अग्निशाली अभियन्ता
निर्माण शाखा
पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम रुद्रप्रयाग

 उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग

 ह०/
जिलाधिकारी
वन. क्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग रेन्ज

 ह०/
जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

नोट :- यह सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी व जिलाधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।